संख्या-डी-11018/1/04 नयाचार
भारत सरकार
योजना आयोग

ध्यानार्थ- <u>वास्तुकारों तथा आंतरिक सज्जाकारों</u>
<u>कांफ्रेस कक्ष के उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु डिजाइन ।</u>

योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली स्थित कांफ्रेस कक्ष "संगम" (1728 वर्ग फीट क्षेत्र) का उन्नयन और आधुनिकीकरण करने का इच्छुक है ।

वर्तमान टेंडर अधिसूचना द्वारा कवर किए जाने वाले कार्य का क्षेत्र इस प्रकार से है।

1. कांफ्रेस कक्ष के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण हेतु परिकल्पित चित्रकारी तथा विवरण तैयार करना ।
2. योजना आयोग द्वारा इस प्रयोजन हेतु गठित मूल्यांकन समिति को परिकल्पना के विवरणों को प्रस्तुत करना एवं उक्त समिति द्वारा अपेक्षित स्पष्टीकरणों को उपलब्ध कराना ।
3. कार्य निष्पादन हेतु योजना आयोग के साथ परामर्श करके विस्तृत विशिष्टियां, विस्तृत चित्रकारी तथा मसौदा निविदा दस्तावेज तैयार करना ।
4. डिजाइन, प्रयोग की गई सामग्री की गुणवत्ता, कारीगरी का मानक इत्यादि की सभी विशिष्टियों का ठेकेदारों द्वारा सुपरविजन तथा कार्य पूर्ति को प्रमाणित करना ।

प्रतिष्ठित वास्तुकारों तथा आंतरिक डिजाइनरों से कार्य के क्षेत्र द्वारा कवर की जाने वाली सेवाओं को प्रदान करने हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं । केवल वे वास्तुकार या आंतरिक डिजाइनर जिनके पास पिछले तीन वर्षो में संतोषजनक रूप से कम से कम दो इस तरह के कार्य पूर्ण करने का अनुभव हो, आवेदन करने के पात्र होंगे । सभी आवेदन लिखित पात्रता के समर्थन में संतोषजनक रूप से पूर्ण किए गए कार्य हेतु संबंधित मुवक्किल संगठनों से प्रमाण-पत्रों द्वारा समर्थित होने चाहिएं ।

आवेदकों को अपना, उपलब्ध संसाधनों, चार्टर्ड लेखाकार द्वारा प्रमाणित पिछले तीन वर्षो का वित्तीय विवरण लाभ व हानि लेखा तथा बैलेंसशीट आवेदक द्वारा महसूस की जाने वाली अन्य कोई संबद्ध सूचना भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

प्रस्ताव संगठन के पत्र शीर्ष (लैटर हैड) पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा सी डी पर प्रस्तावित योजना का दृश्य, परिप्रेक्ष्य कार्य को पूर्ण करने की आवश्यक समय सीमा, संभावित अनुमानित परिव्यय,योजना आयोग से चाहे जाने वाले इनपुट तथा वे मुद्दे जिन्हें निविदा धारक आवश्यक महसूस करता हो ।

निविदाधारक समिति कक्ष का निरीक्षण योजना आयोग में नयाचार अधिकारी, योजना आयोग से 23096515 पर पूर्व सहमति प्राप्त करके किसी भी दिन 26 सितम्बर 2005 और 30 सितम्बर 2005 के बीच 0930 बजे से 1300 बजे के बीच आकर कर सकते हैं ।

योजना आयोग अपेक्षा करता है कि प्रत्येक आवेदक आयोग द्वारा नियुक्त मूल्यांकन समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा तथा उददेश्य के लिए ऐसी समिति द्वारा किसी प्रस्ताव के चयन पर चुने हुए प्रस्ताव को समिति की आवश्यकताओं के तहत संशोधित करने की आवश्यकता पड़ सकती है । तदुपरांत चुने हुए निविदाधारक को विस्तृत लागतों, विस्तृत चित्रकारियों तथा विशिष्टियों और मसौदा निविदा दस्तावेज को अनुमोदनार्थ तैयार करना होगा ।

निविदाधारकों को अपनी बोलियों (विडस) की तैयारी के सभी खर्चो को स्वयं वहन करना होगा तथा योजना आयोग द्वारा उन निविदाधारकों को जिनके आवेदन नहीं चुने गए हैं, कोई राशि भुगतान नहीं की जाएगी । वित्तीय बोलियों को कुल निवेदित शुल्क को बंटे हुए तीन हिस्सों में शामिल करना होगा ।

1. परिकल्पित डिजाइन तथा तैयारी शुल्क।
2. विस्तृत चित्रकारी, विस्तृत विशिष्टियां तथा मसौदा निविदा दस्तावेज को तैयार करने का शुल्क ।
3. कार्य के वास्तविक कार्यान्वयन के सुपरविजन हेतु शुल्क ।

प्रस्ताव सभी तरह से पूर्ण, मुहरबंद लिफाफों में जमा कराने चाहिएं । जिससे कि अधोहस्ताक्षरी के पास हर हालत में 14 अक्टूबर, 2005 को 1400 बजे तक पहुॅंच जाएं ।

निविदाएं निर्धारित समय व दिनॉक तक योजना आयोग के स्वागत कक्ष पर रखी निविदा पेटी में भी डाली जा सकती है निविदाएं उसी दिन अर्थात 14 अक्टूबर, 2005 को 1500 बजे समिति कक्ष सं. 344, तीसरा तल, योजना आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 में ऐसे निविदाधारकों की उपस्थिति में जो वहॉ उपस्थित रहना चाहें, खोली जाएंगी ।

"भुगतान एवं लेखा अधिकारी" योजना आयोग, नई दिल्ली के पक्ष में आहरित रु. 20,000/- का भुगतान आदेश/बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफट के रूप में एक रिफंडेबल प्रत्यर्पणीय धरोहर राशि जमा (ई एम डी) प्रस्ताव के साथ जमा किया जाना चाहिए । निविदाधारकों जिनको नहीं चुना गया है का (ई एम डी) डाक द्वारा निविदाधारकों को उनके दिए गए पते पर लौटा दिया जाएगा । इस कार्यालय के पास रहे (ई एम डी) की अवधि के दौरान कोई ब्याज का भुगतान नहीं होगा ।

इस कार्यालय को किसी/सभी प्रस्तावों को बिना कोई कारण बताए या कार्य क्षेत्र में शामिल कार्य के किसी हिस्से के लिए नहीं देने का कोई कारण बताए बिना निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा ।

इस नोटिस (सूचना) को योजना आयोग की वेबसाइट http://www.planningcommission.nic.in/ पर भी देखी जा सकती है ।

(पवन कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार